तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	राजस्थान सरकार जरिये उपनिवेशन तहसीलदार कोलायत नं.3 मु. बज्जु :बनाम: रिछपालसिंह पुत्र लादुसिंह राजपूत साकिन बजडोली तह. लक्ष्मणगढ जिला सीकर किस्म मुकदमा उपनिवेशन विविध (नियम 22(3) उपनिवेशन आवंटन नियम,1975) मुकदमा संख्या 61 / 17 श्री पैरोकारराज ईकतरफा	

: आदेश :

17.07.2019

1. पत्रावली पेश हुई। क्षेत्राधिकार परिवर्तन होने के कारण प्रकरण उपनिवेशन विभाग, बीकानेर से हस्तांतरित होकर दिनांक 18.09.17 को सुनवाई हेतु इस न्यायालय में प्राप्त हुआ। अप्रार्थी को तलब करने पर आवंटी/अप्रार्थी को प्रेषित नोटिस अदम तामील प्राप्त हुआ।

2. तदन्तर प्रकरण में स्टेट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि के उपस्थित आने पर विभागीय प्रतिनिधि की ईकतरफा बहस सुनी गयी। विभागीय प्रतिनिधि की बहस है कि आवंटन अधिकारी एवं अति. 'आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर द्वारा अप्रार्थी को दिनांक 4.06.07 को राजस्थान उपनिवेशन (इगानप क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 के अन्तर्गत उपनिवेशन तहसील कोलायत नं. 3 के चक 1 एमडबल्यूएम के मुरब्बा नं. 177/57 की 15 बीघा कमाण्ड व 10 बीघा अनकमाण्ड कुल 25 बीघा भूमि आवंटन की गयी। आवंटन बिना विनिमय समिति की राय के प्रक्रिया एवं नियमो के विपरित किया गया। पत्रावली में भूमि आवंटन की लाटरी की पर्ची संलग्न नहीं है जिससे आवंटन नियम विरूद्व व निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को नियम विरूद्ध किया गया आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

3. हमने पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड व मूल आवंटन पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रकरण ना तो मेरिट पर गया है व ना ही पत्रावली परिपक्व होकर गुणावगुण पर बहस हुई है। उपर्युक्त स्थिति में प्रकरण की जांच करवाई जाना हम न्यायोचित पाते है।

4. उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्टेट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय मूल आवंटन पत्रावली तहसीलदार (राजस्व), बज्जु को भिजवाते हुए आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में आवंटित भूमि व रिकार्ड की जांच करें, जांच से अगर प्रकरण आवंटन नियम 22(3) का बनना पाया जावे तो आवंटी के जायज वारिसान/तृतीय पक्षकारान के विरूद्ध तत्काल न्यायिक प्रक्रियानुसार प्रकरण बनाकर सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करें।

5. आदेश आज दिनांक 17.07.19 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। आदेश की प्रति मय स्टेट की ओर से उपनिवेशन तहसीलदार कोलायत नं. 3 मु. बज्जु द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत नियम 22(3) उपनिवेशन आवंटन नियम,1975 तहसीलदार, (रा) बज्जु को भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

(कुमार पाल गौतम)
जिला कलक्टर, बीकानेर

जिला कलक्टर, बीकानेर

जिला कलेक्टर बीकानेर